न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 36/2017 बउनवानी हरिभजन पुत्र रामनारायण कुम्हार **बनाम** नायब तहसीलदार स0मा0
निवासी रवॉजना डूँगर तह0 सवाईमाधोपुर
उप0--1 श्री चेतीराम मीना, वकील अपीलान्ट 2. श्री महावीर चौधरी पैरोकार राजस्व

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
28.5.2018	प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार,2018 के तहत सुलह समझोते की भावना से निस्तारण किये जाने चिहिन्त होने के कारण यह प्रकरण आज न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। अपीलान्ट स्वंय,वकील अपीलान्ट पैरोकार राजस्व एवं राजस्व लोक अदालत अभियान,2018 के सदस्यगण उपस्थित है। सुलह समझौते के तहत दौराने सुनवायी वकील अपीलान्ट ने कथन किया है कि अदालत मातहत द्वारा **मिसल संख्या 1306/2013** में ग्राम **रवॉजना डूँगर की आराजी ख0न0 1677,1682,1683 रकबा 0.49 है0** किस्म **गै0मु0 चाही--4 की भूमि में सम्वत् 2070 में बाजरा की फसल** काश्त करना अंकित करते हुये अतिकमणी माना है एवं **दिनांक 27.9.2013** को आदेश जैर अपील पारित कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। किन्तु अपीलान्ट द्वारा विवादित अतिकमित भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में पुनः अतिकमण नही करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर आदेश जैर अपील से अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ करने बाबत निवेदन किया है, इस सम्बन्ध में पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया है कि यद्यपि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से अतिकमण हटा लेने व पुनः अतिकमण नही करने के आशय की अन्डर टेकिंग प्रस्तुत कर दी है, किन्तु उक्त आदेश जैर अपील के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में पूर्व में अपील प्रस्तुत की जा चुकी है जो अपील संख्या 245/2013 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 22.10.2014 को खारिज की जा चुकी हैं ऐसी स्थिति में उक्त अपील रेसज्यूरीकेटा की श्रेणी में आने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा कथन किया गया। उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पैरोकार राजस्व द्वारा प्रस्तुत तर्क विधि अनुरूप है। क्योकि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की मिसल संख्या 1306/13 मे पारित आदेश दिनांक 27.9.2013 के विरुद्व पूर्व में इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा चुकी है। जो इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 245/13 पर दर्ज की जाकर दिनांक **22.10.2014 को निर्णित की जा चुकी है अब पुनः उक्त आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील को सुनवायी का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है।** अर्थात अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील रेसज्यूरीकेटा की श्रेणी में आने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली आज दिनांक 28.5.2018 को फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। श्री राधेश्याम वैष्णव अधिवक्ता सदस्य राजस्व लोक अदालत श्री हनुमान प्रसाद जैन सदस्य राजस्व लोक अदालत (पी0सी0पवन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	